

मापिकार से प्रकाशिक PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

मई बिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भाव 15, 1908

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकल्भ के स्थ में रखा जा सके

Separate Paging is given to this l'art in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—जण्ड 3—उप-जण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्राज्य को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (गंध राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों क्षान विधि के बन्दर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिसित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्थना और प्रतारण मंत्रालय

नर्फ दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

सा. का. नि. 726--राष्ट्रपति, संविधान के अनुस्केद 309 के परम्बुक द्वारा प्रदश बलितयों का प्रमोग कंटते हुए, भारकोय प्रमारण (हंजीनियर) सेको नियंत्र, 1981 में और संबोधन करने के लिए निस्त्रितिखत नियम बनाते हैं, भगीत् :---

- (1) इन नियमों का नाम भारतीय त्रसारण (इंजीनियर) सेवा (संबोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये रेजपन्न में प्रकाशन की तारीचाको प्रवृत्त होंगे।
- ्रः भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में. (क) अनुसूची । में. यन संख्यां का 1 और उसमें संबंधित प्रनिष्टयों के पञ्चाव् निम्निनिश्चत कम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थीस् :---

क्रम सं. थेणी	पदीं की संख्या		े नेतनसःन
1. क. ज्येष्ठ प्रशासनिक	म्बार्या भ्रम्यापी	कुन	2500-125/2/2750F.
श्रेणी स्तर-1	- 7	7	•

च. ग्रनुसुची 3 में कम संख्याक 2 से 6 के कम सं. 3 से 7 के कप में पुन:नंख्यांकित किया जल्या और इस प्रकार प्नःसंख्याकित कम स. 3 से 7 से पुन निम्नुशिखित कम सं∘ भीर प्रविष्टियां श्रंत स्थापित की जाएगी अर्थांगुः ---

क्रम सं. श्रेणी भनीं की पद्धति प्रति के लिए चयन क्षेत्र कीर स्पृततम प्रहेक सेना

1. प्रमुख इंजीनियर

प्राप्तित द्वाप

ज्यं व्यवस्थानिक श्रेणी स्तर-1 के ऐसे ! बर्धिकारी जिन्दोंने ज्येष्ठ प्रभासिक श्रेणी स्तर-1 भीर ज्येष्ठ प्रभागतिक श्रेणी स्वर-2 में कृत निलाहर 2 वर्ष नियमित सेवा की है।

2 व्येष्क प्रशासनिक श्रेणी स्तर-1	গাঁপরি হাথ	ज्येष्ठ प्रमासनिक श्रेणी स्तर 2 के ऐरे
		प्रधिकारी जिन्होंने उस श्रंणी में .2 वर्ष सियमित सेवा की हो, जिसके स होने
		पर ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर–2 के
•		के ऐसे प्रधिकारी जिल्होंने श्रेणी "क"
		पदों पर कुल मिलाकर कम से कम 16 वर्ष सेवा की है।
(घ) मनुसूची ४ में, कम सं. । मीर उसते संबंधित	प्रविष्टियों के पश्यात् निम्निसखित कम संख्याक	भौर प्रविष्टियां भन्तस्यापित की जाएगी, भयांत :-
कम सं. पद की नाम	नमूह ''क' विकागीय प्रोन्नति मनिति	समूद "क" विभागीय प्रोप्तति समिति
		(पृष्टि पर विचार करने के लिए।)
क 1. ज्येष्ठ प्रजासनिक श्रेणी स्तर-।	 प्रध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग— प्रध्यक्ष 	ा. सचिन, सूचना धौर प्रसारण मंतालय — ग्राध्यक्ष
	 मिनव, सुनना चौर प्रसारण मंत्रालय 	2 संयक्त सचित्र, सूचना भीर प्रसारण संजालय
	सदस्य उ आकाशयाणी महानिदशालयसदस्य	
	अवकाश्वाचाण महानिद्यालय — मदस्य ।	 अवन्त्रवाणा मन्नानदेशालय ——मदस्य इरदमन महानिवेगासय ——मदस्य
		[#. 301 /14 /85-ft (#1)]
प्रसारण मंत्रालय सं. 301/1/81-वी (बी)		एमं. के. रामास्तामी, निरंशक, बाकाशवाणी किए गए थे, देखिए नरकारी प्रधितुचना, सुबना और प्रौर नरपश्चान् उसमें निस्नविक्षित द्वारा संगोधन
किए गए।	[ना. का. नि. 578) (म)] तार्गश्च 4-11-8	किए गए थे, देखिए सरकारी मधितुनता, सुबता भीर
प्रमारण मंत्रालय सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी अधिसुबना स. 301/1/81-वी([ना. का. नि. 578) (म)] तार्गश्च 4-11-8	किए गए थे, देखिए सरकारी घष्टिसुचना, सुबना घौर घौर निस्पत्रचान् उसमें निस्नसिक्षित द्वारा संगोधन
प्रसारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-वी(3(i) में प्रकाशित की गई थी।	[ना. का. नि. 578) (म)] तार्गश्च 4-11-8	किए गए थे, देखिए सरकारी घिष्ठमुचना, श्रुवना घीर घीर न्त्याव्यात् उपमें निस्तिशिक्षतः द्वारा संगोधन 2 जो भारत के राज्यत, श्रुताधारण भागः 2,, खंड
प्रमारण मंत्रालय सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी अधिसूचना स. 301/1/81-वी (3(i) में प्रकाशित की गई की। MINISTRY OF 1	[ना. का. नि. 578) (घ)] तारीख 4-11-8 थी) [सा. का. नि. 573 (घ)] तारीख 13-9-8	किए गए थे, देखिए सरकारी घिष्ठमुचना, श्रुवना घीर घीर न्त्याव्यात् उपमें निस्तिशिक्षतः द्वारा संगोधन 2 जो भारत के राज्यत, श्रुताधारण भागः 2,, खंड
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी प्राविद्यक्षना सं. 301/1/81-वी (वि) वि) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of pos	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीख 4-11-8 थी) [सा. का. नि. 573 (भ)] तारीख 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to	किए गए थे, देखिए सरकारी घिष्मुचना, सुबना घीर घीर नरगणान् उपमें निस्तियिक्त हारा संगोधन 12 जो भारत के राज्यत, श्रमाधारण भाग 2, खंड ASTING
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-वी (वि) अधिसूचना	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीख 4-11-8 थी) [सा. का. नि. 573 (भ)] तारीख 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br	किए गए थे, देखिए सरकारी घषितुचना, सुबना घीर घीर निराधनात् उपमें निस्तियिक्षित द्वारा संगोधन 12 जो भारत के राज्यत, क्षमाधारण भाग 2,, खंड ASTING article 307 of the Constitution, the oadcasting (Engineers) Service Rules
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) िकए गए। (1)सरकारी प्रविद्वना सं. 301/1/81-वी (वि) 3(i) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of potresident hereby makes the following rul 981, namely:— (1) These rules may be called the I	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीख 4-11-8 थी) [सा. का. नि. 573 (भ)] तारीख 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br	किए गए थे, देखिए नरकारी घिष्मुचना, श्रुवना घीर विदेशित हारा मंगीधन । घीर नरगणनात् उपमें निस्नियित हारा मंगीधन । १२ जो भारत के राज्यत, भनावारण भाग २, खंड ASTING article 307 of the Constitution. the oadcasting (Engineers) Service Rules wice (Amendment) Rules, 1986.
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी प्रविद्वाना सं. 301/1/81-वी (वि) (1) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of porresident hereby makes the following rul 981, namely:— (1) These rules may be called the I (2) They shall come into force on In the Indian Broadcasting (En (a) in Schedule I after serial number	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीश 4-11-8 भी) [ता. का. नि. 573 (भ)] तारीश 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br ndian Broadcasting (Engineers) Set the date of their publication in the agineers) Service Rules, 1981	किए गए थे, देखिए नरकारी घिष्मुचना, श्रुवना घीर विदेशित हारा मंगीधन । घीर नरगणनात् उपमें निस्नियित हारा मंगीधन । १२ जो भारत के राज्यत, भनावारण भाग २, खंड ASTING article 307 of the Constitution. the oadcasting (Engineers) Service Rules wice (Amendment) Rules, 1986.
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी प्रविद्युवना सं. 301/1/81-वी (वि) (1) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of porresident hereby makes the following rul 981, namely:— (1) These rules may be called the I (2) They shall come into force on In the Indian Broadcasting (En	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीश 4-11-8 भी) [ता. का. नि. 573 (भ)] तारीश 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br ndian Broadcasting (Engineers) Set the date of their publication in the agineers) Service Rules, 1981	किए नए थे, देखिए सरकारी घषितुचना, सुबना घीर व्याप्त निम्नियित हारा संगोधन । घीर न्याप्त के राज्यन, क्ष्माधारण भाग 2,, खंड ASTING article 307 of the Constitution. the oadcasting (Engineers) Service Rules vice (Amendment) Rules, 1986. Official Gazette.
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी प्रविद्वाना सं. 301/1/81-वी (वि) (1) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of porresident hereby makes the following rul 981, namely:— (1) These rules may be called the I (2) They shall come into force on In the Indian Broadcasting (En (a) in Schedule I after serial number	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीश 4-11-8 थी) [ता. का. नि. 573 (भ)] तारीश 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br indian Broadcasting (Engineers) Set the date of their publication in the ingineers) Service Rules, 1981 r I and the entries relating thereto, the	किए नए थे, देखिए सरकारी घषितुचना, सुबना घीर व्याप्त निम्नियित हारा संगोधन । घीर न्याप्त के राज्यन, क्ष्माधारण भाग 2,, खंड ASTING article 307 of the Constitution. the oadcasting (Engineers) Service Rules vice (Amendment) Rules, 1986. Official Gazette.
प्रमारण मंत्रात्य सं. 301/1/81-वी (बी) किए गए। (1)सरकारी प्रविद्युवना सं. 301/1/81-वी (वि) (1) में प्रकाशित की गई थी। MINISTRY OF I New I G.S.R. 726—: In exercise of porresident hereby makes the following rul 981, namely:— (1) These rules may be called the I (2) They shall come into force on 2. In the Indian Broadcasting (En (a) in Schedule I after serial number shall be inserted namely— Grade	[ना. का. नि. 578) (भ)] तारीख 4-11-8 भी) [ता. का. नि. 573 (भ)] तारीख 13-9-8 INFORMATION AND BROADC Delhi, the 4th August, 1986 wers conferred by the proviso to les further to amend the Indian Br adian Broadcasting (Engineers) Set the date of their publication in the agineers) Service Rules, 1981 r 1 and the entries relating thereto, the	किए नए थे, देखिए सरकारी घिष्मुचना, सुबना घीर विद्यान्ति उपमें निस्तिवित हारा संगोधन । यो निस्तिवित हारा संगोधन । ये जो भारत के राज्यत, श्रमाधारण भाग 2., खंड ASTING article 307 of the Constitution. the oadcasting (Engineers) Service Rules vice (Amendment) Rules, 1986. Official Gazette. Scale of pay.

S. No. Grade	Method of recruitment	Field of selection and the maximum qualifying service for promotion
"1. Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade Level-I. with 2 years combined regular service in Senior Administrative Grade Level-I. and Senior Administrative Grade Level-II.
		Officers in Senior Administrative Grade Level-II with 2 years regular service in the grade, failing which officers of Senior Administrative Grade Level-II with a total service of not less than 16 years in grade 'A' posts." centries relating thereto, the following serial numbers
and entries sh	an ee tuserted, haddery ?	
s. Name of the pest		promotion) Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)

[No. 301/14/85-B(D)] M. K. RAMASWAMY, Director AIR-

Notes: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary. Part-II. Section 3(i), dated 5-11-81 vide Government notification. Ministry of Information & Broadcasting, No. 301/1/81-B(D)[GSR 578 (E)], dated 4-11-81, and was subsequently amended by.—

(i) Government notification, No. 301/1/81-B(D)[GSR 573 (E)]dated 13-9-82 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i).